# बिहार सरकार
## (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
## भू-अर्जन प्रशाखा
## अधिसूचना

संख्या : - 2757 / रा०, पटना, दिनांक : 03-12-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव धमौली रामनाथ (चादर न०-5), थाना नं0-496, अंचल-काँटी, जिला-मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन के अतिरिक्त 2x195 मेगावाट इकाई के लिए मेकअप वाटर पम्प हाउस के निर्माण से विस्थापितों को पूनर्वासित करने हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव धमौली रामनाथ (चादर न०-5), थाना न०-496, अंचल-काँटी, जिला-मुजफ्फरपुर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम- वेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटाँक है जो **6.64 ( छः एकड़ चौंसठ डिसमिल)** एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-.

**अर्जनाधीन अंश खेसरा नं०**-7967, 7968, 7969, 8025, 8027 एवं 8643 **तथा अर्जनाधीन पूर्ण खेसरा नं०**-7952, 7953, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 8026, 8029, 8030, 8031, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536 एवं 8538.

## चौहद्दी

| | |
|---|---|
| उत्तर- | पूर्ण खेसरा नं०-7954, 8542, 8537, 8539 एवं अशं खेसरा नं० 8028. |
| **दक्षिण** - | पूर्ण खेसरा नं०-7965, 7966, 8023 एवं 8024 तथा अंश खेसरा नं०-7967, 8023 एवं 7585 |
| **पूरब** - | पूर्ण खेसरा नं०-, 7922, 7923, 7924, 7927, 7928, 7939, 7940, 7951, 8589, 8590, 8591, तथा अंश खेसरा नं०-8581एवं 8643. |
| **पश्चिम** - | पूर्ण खेसरा नं०-7954, 8028, 8032, 8528, 8530, 8531 एवं 8537 तथा अंश खेसरा नं०-7967, 7968, 7969, 8025, 8027 एवं 8033. |

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा-4के उपबंधो के अधीन जो भूमि अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम 1960 से संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय उपमहाप्रबंधक (मानव संशाधन ), काँटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, मुजफ्फरपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा-2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नही होगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अनुपम कुमार)
समाहर्त्ता
मुजफ्फरपुर

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

( P.T.O )

ज्ञा०सं०–14 / डी०एल०ए० (एम०टी०पी०एस०)–पुनर्वास–मुजफ्फरपुर–208 / 2013– 2757 / रा०,पटना–15, दिनांक:– 03/12/2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को 3 (तीन) प्रतियों में (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ तथा प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।